

रजिस्ट्रार जनरल, कर्नाटक उच्च न्यायालय और अन्य।

बनाम

श्री एम. नरसिम्हा प्रसाद

(2019 की सिविल अपील संख्या 2519-2522)

अप्रैल 10, 2023

[न्यायमूर्तिगण वी. रामसुब्रमणियन और पंकज मिट्टल]

सेवा कानून-प्रत्यर्थी को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में नियुक्त किया गया था-प्रत्यर्थी को घोर कदाचार के आरोपों पर सेवा से निलंबित कर दिया गया था, उसके बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी-जांच रिपोर्टों के अनुसार, कुछ आरोप साबित हो गए थे और अन्य आरोप साबित नहीं हुए थे-उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने प्रत्यर्थी पर सेवा से बर्खास्तगी का जुर्माना लगाने का संकल्प लिया-प्रस्ताव के आधार पर, प्रत्यर्थी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था-प्रत्यर्थी ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों और उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करके सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी-उच्च न्यायालय ने उसी को खारिज कर दिया-प्रत्यर्थी ने उसी के खिलाफ अंतर-अदालत अपील दायर की-उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दंड के आदेश और जांच अधिकारी के निष्कर्षों अपास्त करना कर दिया और यह भी निर्देश दिया कि आगे कोई जांच नहीं हो सकती है। प्रत्यर्थी के खिलाफ कुछ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के थे, जैसे कि फैसले के पूरे पाठ को तैयार किए बिना खुली अदालत में फैसले के परिचालन भाग का उच्चारण करना, और इसी तरह जांच के दौरान जब्त की गई संपत्तियों की नीलामी बिक्री का संचालन-न्यायिक अधिकारी द्वारा फैसले के पूरे पाठ को तैयार/निर्देशित किए बिना खुले न्यायालय में अपने फैसले के समापन भाग का उच्चारण करना घोर कदाचार के बराबर होगा-ऐसा आचरण पूरी तरह से अस्वीकार्य और एक न्यायिक अधिकारी के लिए अशोभनीय है-उच्च न्यायालय न्यायालय को रद्द करने और यह आदेश देने में उचित नहीं था कि प्रत्यर्थी के खिलाफ आगे कोई जांच नहीं होगी-उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त कर दिया गया।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** एक बार जब वे आरोप जो कुछ मामलों के निपटारे के तरीके के इर्द-गिर्द घूमते हैं, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो क्या बचा रहता है कुछ गंभीर आरोप हैं जो फैसले के पूरे पाठ को तैयार किए बिना खुली न्यायालय में फैसले के परिचालन भाग की घोषणा के इर्द-गिर्द घूमते हैं। उदाहरण के लिए, डी. आई. **No.3/2005** में शुल्क संख्या **1,2,4** और **5** को लें। ये आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं, जहां प्रत्यर्थी पर आरोप लगाया जाता है कि उसने पूरे फैसले को तैयार किए बिना खुले न्यायालय में फैसले के

कार्यकारी हिस्से को सुना दिया था। इसी तरह जांच के दौरान जब्त की गई संपत्तियों की नीलामी बिक्री के संचालन से संबंधित डी. आई. **No.5/2005** में आरोप संख्या **1**। ये बहुत गंभीर प्रकृति के हैं और इन आरोपों पर प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया जवाब मनगढ़ंत है। [पैरा **12**]
[59-डी-ई]

बी.

सी.

2. एक न्यायिक अधिकारी निर्णय के पूरे पाठ को तैयार/निर्देशित किए बिना खुले न्यायालय में अपने फैसले के समापन भाग का उच्चारण नहीं कर सकता है। प्रत्यर्थी ने विभागीय जांच में जो कुछ भी किया है, वह सिर्फ अक्षम और कथित रूप से नौसिखिया आशुलिपिक को जिम्मेदारी सौंपने के लिए है। यह न्यायालय नहीं जानता कि इस तरह के गंभीर आरोपों के संबंध में निष्कर्षों को उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले में पूरी तरह से कैसे खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ स्थानीय बार के एक सदस्य और सहायक लोक अभियोजक के प्रति प्रत्यर्थी द्वारा बताई गई दुश्मनी से अनुचित रूप से प्रभावित हुई थी। यदि एक मिनट के लिए यह माना जाता है कि आरोप प्रत्यर्थी के खिलाफ दुर्भावना और उद्देश्य रखने वाले व्यक्तियों द्वारा शुरू की गई शिकायतों के आधार पर थे। फिर भी, इस तरह की दुर्भावना और उद्देश्य निर्णय तैयार नहीं करने में प्रत्यर्थी के आचरण को क्षमा योग्य आचरण नहीं बना सकते हैं, बल्कि मामले का परिणाम घोषित कर सकते हैं। यह सच है कि कुछ आरोप न्यायिक घोषणाओं और न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के इर्द-गिर्द घूमते हैं और वे बिना किसी और चीज के विभागीय कार्यवाही की नींव नहीं बना सकते हैं। इसलिए यह न्यायालय उन आरोपों की अनदेखी कर रहा है। लेकिन वे आरोप जो निर्णय तैयार नहीं करने/निर्देशित नहीं करने में प्रत्यर्थी की ओर से घोर लापरवाही और लापरवाही के इर्द-गिर्द घूमते हैं, लेकिन एक उचित पूर्ति प्रदान करते हैं, एक न्यायिक अधिकारी के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य और अशोभनीय हैं। [पारस **13,14,15**]

[59-एफ-एच; 60-ए-बी] ए

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

पंजीकरण जनरल, कर्नाटक का उच्च न्यायालय बनाम श्री एम. नरसिम्हा प्रसाद ए.

3. प्रत्यर्थी द्वारा लिया गया बचाव कि अनुभव की कमी और आशुलिपिक की ओर से अक्षमता को दोषी ठहराया जाना चाहिए, खुले न्यायालय में परिणाम की घोषणा के कई दिनों के बाद भी निर्णय के पूरे पाठ के तैयार नहीं होने के लिए, पूरी तरह से अस्वीकार्य था।लेकिन दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने न केवल इस पंचतंत्र की कहानी को स्वीकार किया, बल्कि स्टेनोग्राफर से गवाह के रूप में पूछताछ नहीं करने के लिए प्रशासन को दोषी ठहराने की हद तक चला गया। इस तरह का दृष्टिकोण पूरी तरह से अस्थिर है।यदि यह प्रत्यर्थी का मामला था कि पूरा दोष आशुलिपिक पर था, तो यह उसके लिए था कि उसने आशुलिपिक को गवाह के रूप में बुलाया था। दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने सबूत के बोझ को उलट दिया।[पैरा **16**] **[60-सी-डी]**

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड बनाम महेश दहिया (2017) 1 एससीसी 768: [2016] 9 एससीआर **879**; भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल (**1985**) 3 एससीसी 398 :[1985] 2 पूरक।एससीआर 131; भारत संघ और ओआरएस बनामई. बश्यान (1988) 2 एससीसी 196:[1988] 3 एससीआर **209**; भारत संघ और ओआरएस बनाम मोहम्मद.रमजान खान (1991) 1 एससीसी 588:[1990] 3 पूरक।एससीआर 248; प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल, हैदराबाद और ओआरएस बनाम बी. करुणाकर और ओआरएस। (1993) 4 एससीसी 727:[1993] 2 पूरक।एस. सी. आर. 576-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

[2016] 9 एससीआर 879	संदर्भित किया गया है	पैरा 20
[1985] 2 पूरक।एस. सी. आर. 131	को संदर्भित किया गया	पैरा 21
[1988] 3 एससीआर 209	संदर्भित किया गया है	पैरा 21
[1990] 3 पूरक।एस. सी. आर. 248	संदर्भित	पैरा 21
[1993] 2 पूरक।एस. सी. आर. 576	को संदर्भित किया गया	पैरा 21

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार-2023 की सिविल अपील संख्या 2519-2522।

2012 के डब्ल्यू. ए. सं. 14,1040,1041 और 1042 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 02.08.2019 के निर्णय और आदेश से।

बसव प्रभु एस. पाटिल, वरिष्ठ अधिवक्ता, वी. एन. रघुपति, गीत आहूजा, मनेन्द्र पाल गुप्ता, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

सुश्री अनीता शेनॉय, वरिष्ठ अधिवक्ता, नरेंद्र कुमार, सुश्री टी. एस. शांति, संजीव कुमार, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय वी. रामसुब्रमण्यन, जे. द्वारा दिया गया था

अनुमति दी गई।

2. कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित एक सामान्य आदेश को चुनौती देते हुए, प्रत्यर्थी पर लगाए गए सेवा से बर्खास्तगी के दंड को रद्द करते हुए, जो एक सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) था, कर्नाटक उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने उपरोक्त अपीलें की हैं।

3. हमने अपीलार्थी-उच्च न्यायालय में उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री बसव प्रभु एस. पाटिल और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील सुश्री अनीता शेनॉय को विद्वान है।

4. प्रत्यर्थी को एक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में एक अधिसूचना दिनांक 31.01.1995 के माध्यम से नियुक्त किया गया था।

5. घोर दुराचार के कुछ आरोपों पर, प्रत्यर्थी को डी. आई. No.2/2005; डी. आई. No.3/2005; डी. आई. No.4/2005 और डी. आई. No.5/2005 में दिनांकित आरोप ज्ञापन जारी करने के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के बाद एक आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था।

6. 2005 के सभी चार आरोप ज्ञापनों अर्थात् डी. आई. संख्या 2,3,4,5 के संबंध में अलग-अलग पूछताछ की गई, जिसके समापन के बाद, जांच अधिकारी द्वारा 29.03.2007 और 27.04.2007 पर अलग-अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जाँच रिपोर्ट के अनुसार, कुछ आरोप साबित हुए और अन्य आरोप साबित नहीं हुए।

7. इसलिए, दूसरा कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया और उसके बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने प्रत्यर्थी पर सेवा से बर्खास्तगी का जुर्माना लगाने के लिए 04.10.2008 पर निर्णय लिया। पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव के आधार पर, कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया था, दिनांक 19.03.2009 के आदेश के अनुसार।

8. जाँच अधिकारी के निष्कर्षों को चुनौती देते हुए, प्रत्यर्थी ने तीन रिट याचिकाओं का एक सेट दायर किया और बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी।

सेवा से, प्रत्यर्थी ने एक अलग रिट याचिका दायर की। इन सभी रिट याचिकाओं को एक विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिनांक 30.11.2011 के एक सामान्य आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

9. उसी से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने अदालत के भीतर अपील दायर की। उन अपीलों को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा एक बहुत ही अजीब आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसमें न केवल दंड के आदेश और जांच अधिकारी के निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया गया था, बल्कि यह भी निर्देश दिया गया था कि प्रत्यर्थी के खिलाफ आगे कोई जांच नहीं की जा सकती है। यह चार अंतर-न्यायालय अपीलों के एक समूह में पारित इस तरह के एक सामान्य आदेश के खिलाफ है कि उच्च न्यायालय के महापंजीयक इन दीवानी अपीलों के साथ आए हैं।

10. इससे पहले कि हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें, प्रतिद्वंद्वी दलीलों के आलोक में, प्रत्येक आरोप ज्ञापन के तहत प्रत्यर्थी के खिलाफ बनाए गए आरोपों को एक सारणीबद्ध कॉलम में निकालना उपयोगी होगा; प्रत्येक आरोप पर उसका जवाब और उन आरोपों के संबंध में जांच अधिकारी के निष्कर्ष।

न्यायिक अधिकारी के खिलाफ आरोप

11. यह देखा गया है कि साबित किए गए आरोपों में से कुछ प्रत्यर्थी द्वारा पारित न्यायिक आदेशों से संबंधित हैं। इसलिए, हम तुरंत उन आरोपों को नजरअंदाज करने और यह देखने के लिए तैयार हैं कि क्या सेवा से बर्खास्तगी के दंड का आदेश अन्य आरोपों के लिए उचित था और क्या उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इसे रद्द करने में सही था। 12. एक बार जब कुछ मामलों के निपटारे के तरीके के इर्द-गिर्द घूमने वाले उन आरोपों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो कुछ गंभीर आरोप बचे रहते हैं जो फैसले के पूरे पाठ को तैयार किए बिना खुली न्यायालय में फैसले के परिचालन भाग की घोषणा के इर्द-गिर्द घूमते हैं। उदाहरण के लिए, डी. आई. No.3/2005 में शुल्क संख्या 1,2,4 और 5 को लेंगे आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं, जहां प्रत्यर्थी पर आरोप लगाया जाता है कि उसने पूरे फैसले को तैयार किए बिना खुले न्यायालय में फैसले के कार्यकारी हिस्से को सुना दिया था। इसी तरह जांच के दौरान जब्त की गई संपत्तियों की नीलामी बिक्री के संचालन से संबंधित डी. आई. No.5/2005 में आरोप संख्या 1। ये बहुत गंभीर प्रकृति के हैं और इन आरोपों पर प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया जवाब मनगढ़ंत है।

13. एक न्यायिक अधिकारी निर्णय के पूरे पाठ को तैयार/निर्देशित किए बिना खुले न्यायालय में अपने फैसले के समापन भाग का उच्चारण नहीं कर सकता है। प्रत्यर्थी ने विभागीय जांच में जो कुछ भी किया है, वह सिर्फ अक्षम और कथित रूप से नौसिखिया आशुलिपिक को जिम्मेदारी सौंपने के लिए है। हम नहीं जानते कि इस तरह के गंभीर आरोपों के संबंध में निष्कर्षों को उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले में पूरी तरह से कैसे खारिज कर दिया गया है।

14. उच्च न्यायालय के विवादित फैसले पर एक नजर डालने से पता चलता है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ स्थानीय बार के एक सदस्य और सहायक लोक अभियोजक के प्रति प्रत्यर्थी द्वारा बताई गई दुश्मनी से अनुचित रूप से प्रभावित हुई थी। आइए एक मिनट के लिए मान लें कि आरोप प्रत्यर्थी के खिलाफ दुर्भावना और दुर्भावना वाले व्यक्तियों द्वारा शुरू की गई शिकायतों के आधार पर थे। तब भी ऐसी दुर्भावना और मकसद निर्णय तैयार न करने बल्कि मामले का परिणाम घोषित करने में प्रत्यर्थी के आचरण को अक्षम्य आचरण नहीं बना सकता है।

15. यह सच है कि कुछ आरोप न्यायिक घोषणाओं और न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के इर्द-गिर्द घूमते हैं और वे बिना किसी और चीज के विभागीय कार्यवाही की नींव नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम उन आरोपों को नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन वे आरोप जो निर्णय तैयार नहीं

करने/निर्देशित नहीं करने में प्रत्यर्थी की ओर से घोर लापरवाही और लापरवाही के इर्द-गिर्द घूमते हैं, लेकिन एक उचित पूर्ति प्रदान करते हैं, एक न्यायिक अधिकारी के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य और अशोभनीय हैं।

16. प्रत्यर्थी द्वारा लिया गया बचाव कि अनुभव की कमी और आशुलिपिक की ओर से अक्षमता को दोषी ठहराया जाना चाहिए, खुले न्यायालय में परिणाम की घोषणा के कई दिनों के बाद भी निर्णय के पूरे पाठ के तैयार नहीं होने के लिए, पूरी तरह से अस्वीकार्य था। लेकिन दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने न केवल इस पंचतंत्र की कहानी को स्वीकार किया, बल्कि स्टेनोग्राफर से गवाह के रूप में पूछताछ नहीं करने के लिए प्रशासन को दोषी ठहराने की हद तक चला गया। इस तरह का दृष्टिकोण पूरी तरह से अस्थिर है। यदि यह प्रत्यर्थी का मामला था कि पूरा दोष आशुलिपिक पर था, तो यह उसके लिए था कि उसने आशुलिपिक को गवाह के रूप में बुलाया था। दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने सबूत के बोझ को उलट दिया।

17. उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय के एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही के अनुसरण में एक न्यायिक अधिकारी पर लगाए गए दंड के आदेश को चुनौती देने पर विचार करते समय, न्यायालय केवल स्थापित मापदंडों द्वारा जाने के लिए बाध्य है, अर्थात् (i) क्या आरोप साबित हुए; (ii) क्या जांच अधिकारी के निष्कर्ष उचित और संभावित हैं और विकृत नहीं हैं; (iii) क्या प्रक्रिया के नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया है; और (iv) क्या दंड पूरी तरह से असमान है, विशेष रूप से कदाचार की गंभीरता, उसकी सेवा के पिछले रिकॉर्ड और किसी अन्य विस्तारित परिस्थितियों के आलोक में।

18. दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त मापदंडों पर इस मामले में दंड के आदेश की शुद्धता का परीक्षण नहीं किया। इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के पैराग्राफ 26 में एक निष्कर्ष दर्ज विद्वान है, जैसे कि विद्वान न्यायाधीशों को निचले स्तर पर न्यायिक अधिकारियों को होने वाली समस्याओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी थी। विवादित आदेश के पैराग्राफ 26 में उच्च न्यायालय की राय है कि प्रत्यर्थी को जिम्मेदार ठहराए गए चूक और कमीशन के कार्य का गठन नहीं करते हैं।

पंजीकरण जनरल, कर्नाटक का उच्च न्यायालय बनाम श्री एम. नरसिम्हा प्रसाद [वी. रामसुब्रमणियन, जे.] गंभीर दुराचार, बहुत-बहुत जिज्ञासु है। आग में ईंधन जोड़ते हुए, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के पैराग्राफ 36 में दर्ज किया है कि

“ उसे सेवा से बर्खास्त करना ही बहुत क्रूरतापूर्ण है। इस तरह की खोज यह और कुछ नहीं बल्कि उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय पर एक परोक्ष हमला है। ऐसा मानने के बाद, उच्च न्यायालय प्रत्यर्थी को एक निर्दोष और ईमानदार अधिकारी के रूप में प्रमाणित करने की हद तक चला गया है। हम नहीं जानते कि उच्च न्यायालय इस तरह के निष्कर्ष पर कहाँ से आया।

19. उच्च न्यायालय के विवादित आदेश में एक और कारण स्पष्ट किया गया है कि दूसरे कारण दर्शाओ नोटिस में प्रस्तावित दंड का संकेत दिया गया था और इसलिए यह कानून के विपरीत था। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड बनाम महेश दहिया **1.**

20. लेकिन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय वह है जहां विद्युत बोर्ड के अनुशासनात्मक प्राधिकारी-सह-पूर्णकालिक सदस्यों ने जांच रिपोर्ट की प्रति अपराधी को भेजने से पहले ही एक बड़ा जुर्माना लगाने के लिए एक राय बनाई थी। लेकिन इस मामले में उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने जांच रिपोर्ट पर विचार नहीं किया और सेवा से हटाने का जुर्माना लगाने के लिए पहले से कोई निर्णय नहीं लिया।

21. वास्तव में, दूसरे कारणदर्शक नोटिस से संबंधित कानून के विकास का इतिहास लगभग चालीस साल पुराना है। संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 311 से प्रस्तावित जुर्माने से संबंधित दूसरे कारण बताएँ नोटिस की आवश्यकता को हटा दिया गया था। इसे इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने बरकरार रखा था।

भारत संघ और ए. एन. आर. बनाम. तुलसीराम पटेल **2.** लेकिन एक दो - इस न्यायालय की सदस्य पीठ ने भारत संघ और अन्य बनाम अन्य मामले में एक छोटी सी खिड़की खोली। ई. बश्यान **3**, जिसके कारण भारत संघ में निर्णय लिया गया और ओआरएस बनाम ओआरएस। मोहम्मद. रमजान खान **4**, जिसमें इस न्यायालय ने कहा कि जांच अधिकारी के निष्कर्षों का जवाब देने का अवसर प्रस्तावित दंड का जवाब देने के अवसर से अलग है। अंत में,

इस मुद्दे को प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल, हैदराबाद और ओआरएस बनाम ओआरएस में स्पष्ट किया गया। बी. करुणाकर और ओआरएस। **5.**

22. यह प्रत्यर्थी का मामला नहीं है कि उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने प्रत्यर्थी को जांच रिपोर्ट की प्रतियां प्रस्तुत करने से पहले ही सेवा से बर्खास्तगी का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया। जांच रिपोर्टों को संलग्न करने वाले कारण बताएँ नोटिस दिनांकित 11.10.2007 हैं। प्रत्यर्थी द्वारा किए गए अभ्यावेदन दिनांकित 26.10.2007 हैं। इसके बाद ही प्रशासनिक समिति संख्या 1 ने 28.08.2008 पर मामले पर विचार किया और इसे 04.10.2008 पर पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखा गया। इसलिए, उच्च न्यायालय की यह राय कि दूसरा कारणदर्शक नोटिस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था, तथ्यात्मक और कानूनी रूप से सही नहीं है।

1 (2017) 1 एससीसी 768 2 (1985) 3 एससीसी 398 3 (1988) 2 एससीसी 196 4 (1991) 1 एससीसी 588 5 (1993) 4 एससीसी 727

23. हमें ऐसा कोई मामला नहीं मिला है जिसमें उच्च न्यायालय ने जुर्माने के आदेश को दरकिनार करते हुए कहा हो कि अपराधी के खिलाफ आगे कोई जांच नहीं होगी। लेकिन इस मामले में, उच्च न्यायालय ने एक नया न्यायशास्त्र बनाते हुए ठीक ऐसा ही किया है। उच्च न्यायालय के विवादित आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:- “लिखित अपील की अनुमति है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2009 (30.11.2011) के W.P.Nos.10756/2009 और 11030-32 में पारित विवादित आदेश को इसके द्वारा अपास्त करना कर दिया जाता है। अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त करने वाले दंड आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है। सभी जांच रिपोर्टों को रद्द कर दिया जाता है। अपीलार्थी के खिलाफ आगे कोई जांच नहीं होगी।

अपीलार्थी को ऐसा माना जाना चाहिए जैसे कि वह सेवानिवृत्ति की तारीख तक सेवा में रहा हो और 8 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ सभी परिणामी मौद्रिक लाभों का भुगतान करता हो। अनुपालन तीन महीने की अवधि के भीतर होगा।”

24. उपरोक्त सभी कारणों से, अपीलों को अनुमति दी जा सकती है। तदनुसार, उन्हें अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विवादित आदेश को अपास्त कर दिया जाता है। प्रत्यर्थी पर लगाए गए जुर्माने के आदेश को बरकरार रखा जाता है और प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिकाएं खारिज हो जाती हैं। कोई लागत नहीं।

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायक: सिरगापुर साहिल रेड्डी और आर्श चौधरी, एलसीआरए)